2016/00068

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 13 / 2016 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

रामरतन पुत्र धन्नालाल मेघवाल निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा ,

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन अभिभाषक (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के लिसम 17 व 22 के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 03.10.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17 व 22 के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी रामरतन पुत्र धन्नालाल मेघवाल निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा को ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.23 हैक्टयर भूमि दिनांक 26.06.89 को आवंटित की गई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि पर दिनांक 26.06.89 को कब्जा सुपुर्द / दखल दिया गया था, जिसका दखलनामा संलग्न है । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की शर्तो की पालना नही की गई है ।राजस्व रेकार्ड में बहैसियत गेर खातेदार दर्ज है। आवंटी को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिऐ थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नहीं की है, आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है । मौके पर काश्त है किन्तु आवंटी द्वारा नही की गई है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से आवंटन निरस्त योग्य है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री दयाराम सेन अभिभाषक उपस्थित हुए । अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि तहसीलदार प्रार्थी द्वारा पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर कार्यवाही पेश की गई है जो कि हर प्रकार काबिज निरस्तनीय है । अप्रार्थी को नियमानुसार आराजी ख0 नं0 609 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम डूगरज्या तहसील दीगोद की आराजी का आवंटन किया जाकर कब्जा दिया गया था

तब से ही अप्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज है । प्रार्थी ने आवंटन नियम की हर शर्त का पालन किया है तथा उक्त आराजी को नियमानुसार काश्त किया जा रहा है । मौके पर स्वंय पटवारी हल्का भूमि पर फसल होना अंकित कर रहा है किन्तु आवंटी द्वारा नही किया जाना बताया गया है । इस संबंध मे निवेदन है कि पटवारी हल्का मौके पर फसल किस की है यह जांच नही की गई मात्र सरसरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करदी जबकि उसने अपनी रिपोर्ट में कही नही लिखा है कि उक्त खेत की फसल किस की है । इससें यह स्पष्ट है कि आराजी पर काश्त होती आरही है तथा अप्रार्थी भूमि काश्त काश्त करता आ रहा है । अप्रार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है तथा उक्त आराजी के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उसके पास नही है । अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है । अप्रार्थी की आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से काबिज होने पर प्रार्थी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा किसी व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्राप्त होने की अवस्था मे उसका आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है । अप्रार्थी उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र तहसील मे एस0डी0ओ0 मे पेश कर चुका है लेकिन उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये गये है । अप्रार्थी आवंटी का आवंटन काफी पुरानाा है तथा उसका आवंटन किसी भी प्रकार से निरस्त नही किया जा सकता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण खारिज किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया ।

3. प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी को नियमानुसार आराजी ख0 नं0 609 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम डूगरज्या तहसील दीगोद की आराजी का आवंटन किया जाकर कब्जा दिया गया था तब से ही अप्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज है । प्रार्थी ने आवंटन नियम की हर शर्त का पालन किया है तथा उक्त आराजी को नियमानुसार काश्त किया जा रहा है । मौके पर स्वंय पटवारी हल्का भूमि पर फसल होना अंकित कर रहा है किन्तु आवंटी द्वारा नही किया जाना बताया गया है । इस संबंध मे निवेदन है कि पटवारी हल्का मौके पर फसल किस की है यह जांच नही की गई मात्र सरसरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करदी जबकि उसने अपनी रिपोर्ट में कही नही लिखा है कि उक्त खेत की फसल किस की है । इससे यह स्पष्ट है कि आराजी पर काश्त होती आरही है तथा अप्रार्थी भूमि काश्त काश्त करता आ रहा है । अप्रार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है तथा उक्त आराजी के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उसके पास नही है । अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया । अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिऐ थी । किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो हेतु आवंटन के प्रथम 2 वर्षो मे सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करने के संबन्ध मे आवंटी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.03.2016 के अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं0 2071 से 2074 मे खाता सं0 307 पर ख0 नं0 885/609 रकबा 0.23 है0 रामरतन पुत्र धन्नालाल कोम बलाई के गेरखातेदारी दर्ज रेकार्ड है । आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई । भूमि कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित है । अतः आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटन निरस्त योग्य पाते है ।

5. अतः राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17 व 22 के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाके ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.23

हैक्टयर का आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दीगोद उक्त भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करे।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा